बढ़ते कदम गाँवों की ओर

JHALSA

विधिक सेवा कार्यक्रम
क्यों कैसे
और
किसके लिए?

"न्याय सदन"
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
ए. जी. ऑफिस के समीप, डोरंडा, राँची
दूरभाष : 0651-2482392, 2481520 फैक्स : 0651-2482397
ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com, वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in

(द्वारा जनहित में जारी)

विधिक सेवा कार्यक्रम

क्यों, कैसे और किसके लिये ?

विधि की गरिमा न्याय से है। त्वरित एवं सस्ता न्याय सुनिश्चित किया जाना हमारा उद्देश्य है। न्याय प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी समस्या एवं चुनौती इस उद्देश्य को पाना है। जहाँ एक तरफ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य दलित गरीब वर्ग के लोगों की पहुँच न्यायालय तक आसानी से नहीं हो पाती, जिससे उन्हें सामाजिक न्याय उपलब्ध नहीं हो पाती है, वहीं दूसरी ओर न्यायालय में लम्बित वादों की संख्या में प्रत्येक वर्ष भारी मात्रा में वृद्धि होने के कारण न्याय प्रणाली के द्वारा शीघ्र एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने की समस्या और अधिक चिन्ताजनक होती जा रही है। सुशिक्षित एवं साधन सम्पन्न व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। परन्तु न्याय प्राप्त करने में उन लोगों की समस्या विशेष रूप से है जो साधनहीन, निरक्षर, एवं कमजोर हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-क के नीति निदेशक सिद्धान्त द्वारा यह प्रावधान किया गया है जिसमें राज्य का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि विधि तंत्र इस प्रकार काम करे जिससे समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और कोई भी व्यक्ति आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। अनुच्छेद 39-क द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि उपयुक्त विधान या योजना द्वारा सामाजिक न्याय को प्राप्त करने हेतु नि:शुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

उक्त नीति निदेशक सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से केन्द्र स्तर पर "विधिक सहायता स्कीम क्रियान्वयन समिति" की पूर्व में स्थापना की गई थी। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश इस सर्वोच्च संस्था (एपेक्स बॉडी) के मुख्य संरक्षक और सर्वोच्च न्यायालय के एक कार्यरत वरिष्ठ न्यायाधीश इस मुख्य संस्था के प्रशासनिक अध्यक्ष थे।

वर्तमान में उक्त कार्य हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों को झारखण्ड में लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम के लागू होने पर झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है और प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन हो चुका है। उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। इस प्रकार जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं सब डिवीजनल स्तर पर अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार का भी गठन हो चुका है।

इसके अलावे राज्य के 22 जिलों में "स्थायी लोक अदालत" की स्थापना हो

चुकी है:-

1. बोकारो	2. चाईबासा	3. चतरा	4. देवघर
5. धनबाद	6. दुमका	7. गढ़वा	8. गिरिडीह
9. गोड्डा	10. गुमला	11. हजारीबाग	12. जमशेदपुर
13. कोडरमा	14. लोहरदगा	15. पलामू	16. राँची
17. साहेबगंज	18. सरायकेला	19. सिमडेगा	20. जामताड़ा
21. लातेहार	22. पाकुड़		

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैं:-

1. पात्र व्यक्तियों को विधिक सेवा उपलब्ध कराना।
2. लोक अदालतों का आयोजन करके सुलह समझौते के माध्यम से विवादों का निपटारा करना।
3. निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का संचालन करना
4. विधिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक प्रभावी एवं कम खर्चीली योजनाएं तैयार करके उन्हें क्रियान्वित करना।
5. ग्रामीण क्षेत्रों, गन्दी बस्तियों या श्रमिक कॉलोनियों में समाज के कमजोर वर्ग को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी देने हेतु विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करना।
6. पारिवारिक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निपटाने हेतु परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्रों की स्थापना करना।
7. राज्य प्राधिकार राज्य में आयोजित होने वाले विधिक सहायता के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए या नागरिकों के कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाने, विशेषकर जनजातीय एवं ग्रामीणों, महिलाओं, बच्चों, असमर्थों, अपंगों तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगें के बीच जागरूकता हेतु राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करना।
8. राज्य प्राधिकार सार्वजनिक हितों से संबंधित विवादों को राज्य के उचित न्यायालय में वित्त प्रदान करती है, यदि यह निश्चित हो जाए कि विवाद एक बड़े जनसमूह या वर्ग के लाभ से संबंधित है और वे अपने स्तर पर गरीबी, निरक्षरता, या किसी

अन्य समतुल्य कारणों से कानून का आश्रय नहीं ले सकते हैं।

9. राज्य प्राधिकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लॉ कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर कानूनी सहायता शिविर का आयोजन कर सकती है।

10. विभिन्न पक्षों के बीच कानूनी विवाद, चाहे वह न्यायालय में लम्बित हो या समाप्ति की ओर हो, के समाधान के लिए स्थायी या लगभग स्थायी संरचना प्रदान करने के लिए राज्य प्राधिकार राज्य के विभिन्न केन्द्रों पर सुलह समिति का गठन कर सकती है या जिला प्राधिकार को इसके लिए निर्देश दे सकती है। इस समिति की स्थापना करने के लिए राज्य प्राधिकार या जिला प्राधिकार वैसे समाजसेवी संस्थाओं से सहयोग ले सकती हैं जो कानूनी सहायता से सबंधित कार्यों के लिए उत्साहित हो।

11. राज्य प्राधिकार वैसे मुकदमों पर पुनर्विचार कर सकती है जिन प्रार्थना पत्रों या समतुल्य पर जिला प्राधिकार द्वारा विधिक सहायता के लिए इन्कार कर दिया गया हो।

वर्तमान में मुख्य रूप से निम्न प्रकार के विधिक सेवा कार्यक्रमों का सम्पादन किया जा रहा है :-

1. लोक अदालतों का आयोजन-

राज्य प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकारों द्वारा समय-समय पर उच्च न्यायालय तथा दीवानी न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

लोक अदालतों में मुख्य रूप से मोटर दुर्घटना प्रतिकार संबंधी मामले, पारिवारिक मामले, दीवानी मामले तथा शमनीय अपराधिक मामले, बैंक ऋण एवं उपभोक्ता संबंधी विवाद सुलह समझौते के आधार पर तय कराये जाते हैं। लोक अदालतों की मुख्य विशेषता यह है कि लोक अदालतों का अधिनिर्णय दीवानी न्यायालय की डिग्री के समतुल्य है और पक्षकारों पर बाध्यकारी है तथा लोक अदालत के अधिनियम के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील या पिटीशन दायर नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही जिन मुकदमों में पक्षकार लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौता करते हैं उन वादों में पक्षकारों द्वारा अदा की गयी कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है।

इसके साथ लोक अदालत के अवसर पर विशेष रूप से आयोजित शिविरों के माध्यम से लघु आपराधिक वादों, श्रम, राजस्व, स्टाम्प आदि वादों का भी निस्तारण कराया जा रहा है, जिससे वादकारियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो रहा है।

संक्षेप में लोक अदालत के बारे में निम्न प्रकार से जानकारी लें:-

लोक अदालत क्या है ?

- ❖ लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
- ❖ सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, सभी आपराधिक मामले भी लोक अदालतों द्वारा निपटाया जा सकता है।
- ❖ लोक अदालतों के फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है जिसे कोर्ट की डिग्री की तरह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से बाध्य होते हुए लागू कराया जाता है।
- ❖ लोक अदालत के फैसलों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- ❖ प्रदेश के सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिये उस अदालत में प्रार्थना-पत्र देने का प्राधिकार प्राप्त है।
- ❖ अभी जो विवाद न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं उन्हें भी प्री-लिटीगेशन स्तर पर बिना मुकदमा दायर किये ही पक्षकारों की सहमति से प्रार्थना-पत्र देकर लोक अदालत में फैसला कराया जा सकता है।
- ❖ लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटा दी जाती है।
- ❖ राज्य के सभी जिलों में समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है और वादकारियों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए उस अदालत में प्रार्थना पत्र देने का अधिकार प्राप्त है। सभी जिलों में प्रत्येक माह के चौथे शनिवार एवं मुख्य अवसरों जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, को लोक अदालतों का आयोजन होता है। इसके अलावा मजदूर दिवस, बाल दिवस, श्रावणी मेला, देवघर, दुमका व्यापार मेला एवं जगन्नाथपुर मेला, राँची इत्यादि पर मजदूर विधिक जागरण शिविर का आयोजन किया जाता है।

2. परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र की स्थापना-

प्रत्येक जनपद में परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र की स्थापना की जा रही है जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता/न्यायिक अधिकारियों द्वारा संधिवार्ता के आधार पर पारिवारिक एवं अन्य विवादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया

जाएगा। यह प्रयास किया जा रहा है कि समस्त जिलों में परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्रों के माध्यम से अधिक से अधिक वैवाहिक, पारिवारिक, सिविल एवं अन्य विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करा दिया जाय।

3. स्थायी लोक अदालत की स्थापना-

झारखण्ड राज्य में अभी तक 19 स्थायी लोक अदालतों की स्थापना कर दी गयी है। शेष तीन जिलों में (जामताड़ा, लातेहार एवं पाकुड़) में स्थायी लोक अदालत के स्थापना की प्रक्रिया जारी है। झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा ऐसे मामलों के निस्तारण का भी कार्य, जो मामले अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अपितु प्रस्तुत किये जाने है, भी होता है।

स्थायी लोक अदालतें क्या है ?

- ❖ लोक उपयोगिता सेवा संबंधी विवाद जो न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं उन्हें भी प्री-लिटीगेशन स्तर पर बिना मुकदमा दायर किये ही पक्षकारों की सहमति से प्रार्थनापत्र देकर स्थायी लोक अदालत में फैसला कराया जा सकता है।

लोक उपयोगिता सेवा जैसे :-

- ❖ वायु, सड़क, रेल या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल वाहन के लिए यातायात सेवा या
- ❖ डाक, तार या टेलीफोन सेवा, या
- ❖ ऐसा स्थापन जो जनता को विद्युत, प्रकाश या जल प्रदान करता है, या
- ❖ लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली, या
- ❖ अस्पताल या औषधालय में सेवा, या
- ❖ बैंक एवं बीमा संबंधी विवाद का कोई पक्षकार के विरूद्ध, किसी न्यायालय के समझ लाने से पूर्व विवाद निपटारे के लिये आवेदन दे सकते है, यदि उस विवाद का मूल्य दस लाख रूपये तक का हो एवं ऐसे अपराध जो संबंधित कानून के द्वारा समझौते योग्य हो।

4. राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन-

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 5 मार्च 2005 को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन का शुभारम्भ किया गया जिसका उद्देश्य भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को विधिक रूप से साक्षर एवं जागरूक बनाना है। झारखण्ड राज्य में सतत् कानूनी शिक्षा अभियान चल रहा है।

5. विधिक सेवाएँ क्या है ?

- ❖ समस्त न्यायालयों / प्राधिकरणों / अधिकरणों / आयोगी के समक्ष विचाराधीन मामलों में विधिक सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।
- ❖ गरीब तथा आम व्यक्तियों के लिए न्याय शुल्क सहित वकील की फीस एवं अन्य सभी आवश्यक वाद व्यय प्राधिकार द्वारा वहन किये जाते हैं।
- ❖ विधिक अधिकारों एवं सेवाओं की जागरूकता के लिए विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है।
- ❖ परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्रों में सन्धिकर्ता दल द्वारा पारिवारिक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर समाप्त कराये जाने के सतत् प्रयास किये जाते हैं।
- ❖ मोटर दुर्घटना प्रतिकार वादों में पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र न्याय दिलाया जाता है।

6. विधिक सेवाएं प्रदान करना -

समाज के कमज़ोर एवं निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना इस प्राधिकार का मुख्य उद्देश्य है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

(1) विधिक सेवाएं प्राप्त करने हेतु पात्रता-

कोई भी ऐसा व्यक्ति नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने का अधिकारी है जिसकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 50 हजार रूपये तक है। इसके अतिरिक्त निम्न श्रेणी के सभी व्यक्ति नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के अधिकारी हैं और उनके लिए वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है :-

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य,
2. संविधान के अनुच्छेद 23 में यथा निर्दिष्ट मानव दुर्व्यापार या बेगार का सताया हुआ,
3. स्त्री या बालक,
4. मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ,
5. अनुपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं से पीड़ित व्यक्ति,
6. कोई औद्योगिक कर्मकार,
7. अभिरक्षा में जिसके अन्तर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2 के (न) के अर्थ में किसी मनोचिकित्सीय

अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति।

(2) किन मामलों में विधिक सेवा प्रदान नहीं की जाएगी-

निम्नलिखित मामलों में किसी व्यक्ति को विधिक सेवा प्रदान करने से इन्कार किया जा सकता है :-

1. न्यायालय की अवमानना के मामले में
2. निर्वाचन से संबंधित कारवाई में
3. मानव का दुर्व्यापार के पीड़ित के सिवाय अनैतिक व्यापार (निवारण) अधि नियम, 1956 के अधीन कार्यवाहियों में।
4. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन कार्यवाहियों के सिवाय किसी व्यक्ति के जो इसे अधिनियम के अधीन किसी निर्योग्यता के अधीन रखा गया।
5. किसी व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन किये गये किसी अपराध का अभियुक्त हो।

(3) विधिक सेवा प्रदान करने का स्वरूप

विधिक सेवा प्राप्त करने वाले पात्र व्यक्ति को नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही साथ न्याय शुल्क तथा विभिन्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने में होने वाली व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

(4) विधिक सेवा कैसे प्राप्त की जाये ?

उच्च न्यायालय/दीवानी न्यायालय में विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए कोई भी पात्र व्यक्ति सेवा प्राधिकार के सचिव को सादे कागज पर अथवा संलग्न प्रारूप पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है जिसमें मुकदमे से संबंधित संक्षिप्त विवरण दिया जायेगा और पात्रता के सम्बन्ध में समस्त स्त्रोतों से आय का प्रमाण-पत्र अथवा जाति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा। आय से संबंधित प्रमाण-पत्र स्वयं के शपथ-पत्र के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

(5) विधिक सेवा प्रदान किये जाने वाले व्यक्ति का दायित्व-

प्रत्येक विधिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने आवेदन-पत्र में कोई तथ्य न छिपाएं और जिला प्राधिकार/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। यदि विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता अथवा अधिवक्ता के साथ सहयोग नहीं किया जाता है अथवा उसके द्वारा व्यक्तिगत तौर पर अपना वकील नियुक्त कर लिया जाता है तो उसे उपलब्ध कराई गयी कानूनी सहायता वापस ली जा सकती है।

विधिक सेवा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें -

- ☞ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
- ☞ सभी जनपदों के दिवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकारों के अध्यक्षों (जिला जजों) अथवा सचिव
- ☞ प्रदेश की समस्त अनुमंडल में कार्यरत अनुमंडल विधिक सेवा समितियों के सचिव
- ☞ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार राँची

सोचें हित किसमें है ।

1. एक पक्ष की विजय (जो आपका विपक्षी भी हो सकता है) व दूसरे पक्ष की हार व अपमान (जो आप स्वयं हो सकते हैं) में।

   या

   न किसी का हार न किसी की जीत के साथ समान न्याय

2. निर्णय के प्रति उत्सुकता तथा अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव में जीवन जीने में।

   या

   शांतिपूर्ण ढंग से लोक अदालत द्वारा आपसी सहमति के आधार पर सम्मानजनक निर्णय पाकर तनावमुक्त जीवन जीने में।

3. वर्षों तक मुकदमें के निर्णय के इन्तजार में।

   या

   तुरन्त आपसी सहमति से मुकदमें के निर्णय में।

4. हर तारीख पर न्यायालय में हाजिर होकर समय बर्बाद करने में।

   या

   एक या दो तारीखों में निर्णय से छुटकारा पाने में।

5. आपसी भाईचारा खोकर तनावयुक्त जीने में

   या

   आपसी भाईचारा जागृति कर तनाव रहित जीवन जीने में।

माननीय न्यायमूर्ति श्री अल्तमस कबीर, न्यायाधीश,
सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, नालसा, 'न्याय सदन'
परिसर में **'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग'** के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकारों
के कार्यों की समीक्षा करते हुए

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार